भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:आदेश

Reference No.:IRDA/INT/ORD/MISC/103/05/2020 **Date:**04/05/2020

पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा पालिसी के मानकीकरण के लिए समिति का गठन - बीमा मध्यवर्ती

-

संदर्भ सं.:आईआरडीए/आईएनटी/ओआरडी/एमआईएससी/103/05/2020 दिनांक:04-05-2020
Ref. No:IRDA/INT/ORD/MISC/103/05/2020 **Date:**04-05-2020

-

कार्यालय आदेश
Office Order

विषय : पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा पालिसी के मानकीकरण के लिए समिति का गठन - बीमा मध्यवर्ती
Sub: Constitution of Committee for Standardization of Professional Indemnity Insurance Policy – Insurance Intermediaries

1. बीमा उत्पाद याचित और वितरित करने वाले बीमा मध्यवर्तियों यानी, बीमा दलालों, बीमा वेब संग्राहकों, कॉर्पोरेट एजेंटों, बीमा विपणन फर्मों को, उन्हें नियंत्रित करने वाले विनियमों में उल्लिखित आकस्मिकताओं से उत्पन्न होने वाले उनके विरुद्ध दावों से अपने आपको क्षतिपूरित करने के लिए पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा पालिसियाँ लेने की आवश्यकता है। मध्यवर्तियों के लिए, पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा पालिसी का संबंध निम्नलिखित विनियमों से है:
The Insurance Intermediaries engaged in solicitation and distribution of Insurance products, viz., Insurance Brokers, Insurance Web Aggregators, Corporate Agents & Insurance Marketing Firms are required to take Professional Indemnity Insurance Policies in order to get themselves indemnified from the claims lodged against them, arising out of the contingencies mentioned in the Regulations governing them. The following Regulations deal with the Professional Indemnity Insurance Policy for the Intermediaries:

क्रम सं. **Sl No**	मध्यवर्ती **Intermediary**	संबंधित विनियम **Concerned Regulation**
1	बीमा दलाल Insurance Brokers	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 का विनियम 24-अनुसूची II-फार्म एस Regulation 24 – Schedule II- Form S of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018
2	कॉर्पोरेट एजेंट Corporate Agents	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कार्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 का विनियम 19 - अनुसूची II Regulation 19 – Schedule II of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015
3	बीमा वेब संग्राहक Insurance Web Aggregators	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2016 का विनियम 18-अनुसूची III–फॉर्म के Regulation 18 – Schedule III- Form K of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators)

		Regulations, 2016
4	बीमा विपणन फर्म Insurance Marketing Firm	भारतीय बीमा विनियमाक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 का विनियम 9 अनुसूची X Regulation 9 – Schedule X of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015

2. जबकि उपरोक्त विनियम, क्षतिपूर्ति सीमा, कवरेज, अधिकता, पूर्वव्यापी तिथि इत्यादि का स्पष्ट रूप से निर्धारण करते हैं, प्राधिकरण का, कार्यस्थल निरीक्षणों और ऑफ साइट जाँच-पड़ताल से ऐसे उदाहरणों से सामना हुआ जिनमें मध्यवर्तियों द्वारा ली गयी पालिसियाँ, विनियामक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करतीं।
While the above Regulations clearly stipulate the indemnity limit, coverage, excess, Retroactive date etc., the Authority, through onsite inspections and offsite monitoring has come across a number of instances where the policies taken by intermediaries do not comply with Regulatory provisions.

3. बीमा मध्यवर्तियों के लिए पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा पालिसी से संबन्धित मामलों की जाँच करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक समिति का गठन किया गया है:
In order to examine the issues around Professional Indemnity insurance policy for Insurance Intermediaries, a committee is constituted with the following members:

i. श्रीमती यज्ञप्रिया भरत- मुख्य महाप्रबंधक(गैर जीवन), आईआरडीएआई - अध्यक्ष
Mrs. Yegnapriya Bharat – CGM (Non Life), IRDAI – **Chairperson**

ii. श्री उमेश राठौड - प्रबंधक, द न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड - सदस्य
Mr. Umesh Rathod- Manager, The New India Assurance Co. Ltd. – **Member**

iii. सुश्री कस्तूरी सेनगुप्ता - मुख्य प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड - सदस्य
Ms. Kasturi Sengupta- Chief Manager, National Insurance Co. Ltd. – **Member**

iv. सुश्री सुरभी गोयल –प्रमुख – पुनर्बीमा एवं देयता जोखिमांकन -एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड - सदस्य
Ms. Surbhi Goel - Head- Reinsurance & Liability Underwriting - HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd. – **Member**

v. श्री नाजिम बी.- प्रमुख-फाइनांशियल लाइन्स- टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमि.- सदस्य
Mr. Najim B. - Head- Financial Lines - TATA AIG General Insurance Co. Ltd. - **Member**

vi. श्री शशिधर कटारी, सहायक, आईआरडीएआई - संयोजक
Mr. Sasidhar Katari, Assistant, IRDAI – **Convener**

vii. उपरोक्त समिति में अध्यक्ष की अनुमति से विशेष आमंत्रित भी शामिल किये जा सकते हैं।
The above Committee may also include Special Iinvitees, as permitted by the Chairperson.

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:
The terms of reference of the Committee are as follows:

i. ऐसी मानक पेशेवर क्षतिपूर्ति पालिसी तैयार करना जो विनियमों में उल्लिखित उन सभी आकस्मिकताओं और स्थितियों (पूर्वव्यापी तिथि, क्षतिपूर्ति सीमाएँ, अधिकता इत्यादि)को शामिल , करती हैं जो कि सभी बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की जा सकती हैं।
To prepare a Standard Professional Indemnity policy which covers all the contingencies and conditions (Retroactivedate, Indemnity Limits, Excess etc.) mentioned in the Regulations which can be issued by all insurers.

ii. विनियमों में यथा निर्धारित पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा पालिसी से संबंधित कोई अन्य मामला।
Any other matter relating to the Professional Indemnity insurance policy as stipulated in the Regulations.

5. समिति इस आदेश की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष, आईआरडीएआई को प्रस्तुत करेगी।
The Committee shall submit its report to the Chairman, IRDAI within a period of one month from the date of this order.

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।
This is issued with the approval of the Competent Authority.

(टी एल अलमेलू / **TL ALAMELU**)
सदस्य (गैर-जीवन) / **Member (Non Life)**